उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211 021

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	52
दिनाँक	:	06–06– 2018
समय	:	सायं 4:00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 06–06–2018 को सायं 4:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 52वीं बैठक (आपातकालीन) का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. के.एन. सिंह, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	प्रो. सुधाँशु त्रिपाठी, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
9.	डॉ. इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
10.	डॉ. संतोषा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
11.	श्री सुनील कुमार, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

12.	डॉ. साधना श्रीवास्तव, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
13.	प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा/कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य–सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

(1) प्रो. राजेन्द्र प्रसाद,
कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

(2) डॉ. अरविन्द दीक्षित,
कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा

(3) प्रो. के.एस. मिश्र,
डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

(4) प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)

(5) प्रो. एच.एस. उपाध्याय,
दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 52.01

दिनाँक 04–06–2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनाँक 04–06–2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा **संलग्नक** 01 **पृष्ठ संख्या** 23-31 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनाँक 04–06–2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 52.02

दिनाँक 05–06–2018 को परीक्षा समिति की सम्पन्न (आपातकालीन) बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. सत्रांत परीक्षा की तैयारी हेतु ऐसे कर्मचारी जो कार्यालय अवधि के बाद एवं अवकाश के दिनों में कार्यालय आ कर कार्य करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः उचित होगा कि ऐसे कर्मचारियों के लिये प्रतिकर की अवधि बढ़ा कर तीन माह कर दी जाय या अन्य राज्य विश्वविद्यालय में ऐसे कर्मचारियों के लिये जो पारिश्रमिक का प्रावधान हो, उसे लागू कर लिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

प्रायः परीक्षा की तैयारी के दृष्टिगत परीक्षा से पूर्व, दौरान तथा उपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु अवकाश के दिन भी कार्यालय खोलना पड़ता है परन्तु एक माह अन्दर प्रतिकर लेने की बाध्यता के कारण कर्मचारी अवकाश नहीं ले पाते हैं। अतः प्रतिकर लेने हेतु निर्धारित अवधि एक माह से बढ़ाकर तीन माह करने अथवा अन्य राज्य विश्वविद्यालय में ऐसे कर्मचारियों के लिये जो पारिश्रमिक भुगतान का प्रावधान हो उसे लागु करने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु कुलसचिव द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाय। परीक्षा समिति के सदस्य डॉ0 ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा संयोजक तथा डॉ0 पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा एवं डॉ0 आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा कमेटी के सदस्य होंगे।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. परीक्षा विभाग द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु रू0 500/– एवं 300/– का शुल्क निर्धारित किया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।

शिक्षार्थियों द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष परीक्षा विभाग द्वारा रू0 500/– एवं 300/– का शुल्क निर्धारित किया गया है। बिन्दु सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क रू0 500/– एवं 300/– से अवगत होते हुए सहमति व्यक्त की गई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।

3. <u>सत्र 2016 के पूर्व से छूटे हुए प्रश्न–पत्र के अंक को अंकपत्र में अंकित करवाने वाले प्रकरण हेतु प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/– निर्धारित करने पर विचार।</u>

वर्तमान समय में अधिक मात्रा में पुराने शिक्षार्थी अपने अंकपत्र में संशोधन हेतु आवेदन कर रहे हैं। जबकि सूचना विवरणिका में स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षार्थी परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण का निस्तारण 01 वर्ष की अवधि में पूर्ण करा लें अन्यथा की दशा में आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। परन्तु अधिक मात्रा में पुराने शिक्षार्थी प्रत्येक कार्य दिवस पर अंकतालिका में संशोधन हेतु आवेदन कर रहे हैं। जिससे विश्वविद्यालय के कर्मियों का अधिकांश समय उसमें लग रहा है। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु उचित होगा कि यदि प्रकरण सत्र 2016 से पूर्व का है तो प्रति आवेदन प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/– निर्धारित कर दिया जाय जिससे एक ही शिक्षार्थी द्वारा कई बार आवेदन न दिया जाय व उसका प्रकरण निस्तारित हो सके। बिन्दु विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षाफल घोषित होने से तीन वर्ष पूर्व के प्रकरणों पर प्रति आवेदन प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/– लिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. <u>विश्वविद्यालय मुख्य परिसर एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रू 2/– प्रति कॉपी न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/– पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।</u>

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को सम्पन्न कराने हेतु जिन कर्मचारियों (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) को अधिकृत किया जाता है उन्हें कार्यालय अवधि से पूर्व/पश्चात कार्य करना पड़ता है। मूल्यांकन कार्य की प्रकृति तथा समय–बद्धता के कारण उन्हें अवकाश के दिनों में भी कार्य करना होता है साथ ही वे अपने पूर्व में निर्धारित/आवंटित कार्यों को भी सम्पन्न करते रहते हैं। ऐसे में उचित होगा कि इन कर्मचारियों को मूल्यांकन कार्य हेतु एक उचित पारिश्रमिक रू 2/– प्रति कॉपी, न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/– अलग से निर्धारित कर दिया जाए। प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त किये गए कर्मचारियों (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) को मूल्यांकन कार्य हेतु एक उचित पारिश्रमिक रू 2/– प्रति कॉपी, न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/– अलग से निर्धारित करने की संस्तुति की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित नोडल प्रभारी हेतु देय मानदेय 10,000 से कम उत्तर पुस्तिकायें होने पर न्यूनतम रू0 5,000/– तथा 10,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकायें होने पर अधिकतम रू0 10,000 पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराने हेतु नोडल प्रभारी का मानदेय 10,000 से कम उत्तर पुस्तिकायें होने पर न्यूनतम रू0 5,000/– तथा 10,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकायें होने पर अधिकतम रू0 10,000 पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराने हेतु नोडल प्रभारी का मानदेय निर्धारित करने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नानुसार संस्तुति की :–

कॉपी संख्या	मानदेय
25,000 तक	रू0 05,000/–
25,001 से 50,000 तक	रू0 10,000/–
50,000 से अधिक	रू0 15,000/– यदि नोडल प्रभारी द्वारा सहायक नोडल प्रभारी नियुक्त किया जाता है तो मानदेय का वितरण 60% एवं 40% के अनुपात में किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

6. परीक्षा सत्र दिसम्बर–2017 के सापेक्ष अनुचित साधन प्रयोग **(UFM)** से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा सत्र दिसम्बर–2017 के सापेक्ष अनुचित साधन प्रयोग (UFM) से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। बिन्दु समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा सत्र दिसम्बर–2017 के अनुचित साधन के प्रयोग **(UFM)** में आरोपित 11 परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में **UFM** कमेटी के निर्णय की पुष्टि की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. परीक्षा सत्र दिसम्बर–2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा सत्र दिसम्बर–2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। बिन्दु समिति कि समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति दिसम्बर–2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों के घोषित परीक्षाफल की सूचना से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् दिसम्बर–2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों (बी.एड. एवं बी.एड. विशिष्ट शिक्षा को छोड़कर) के घोषित परीक्षाफल की सूचना से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने जिन केन्द्रों पर 400 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं उन केन्द्रों का परीक्षाफल पूर्णतः घोषित किए जाने का निर्णय लिया।

8. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से वेरीफिकेशन एवं ट्रान्सक्रिप्ट से सम्बन्धित शुल्क लिये जाने के प्रकरण को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा समिति की 23वीं बैठक के बिन्दु संख्या 23.05 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष वेरीफिकेशन तथा ट्रान्सक्रिप्ट हेतु निर्धारित शुल्क रू0 500/– लिया जा रहा था परन्तु सरकारी संस्थाओं द्वारा शुल्क लिये जाने पर आपत्ति जताई गई है। अतः सरकारी संस्थाओं से वेरीफिकेशन तथा ट्रान्सक्रिप्ट हेतु शुल्क लिया जाय अथवा नहीं। प्रकरण पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत। (संलग्नक 02 पृष्ठ संख्या 32-36)

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा नियंत्रक प्रकरण पर मा. कुलपति जी के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

9. परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने का प्रस्ताव परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने पर विचार करने हेतु बिन्दु परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने पर सहमति व्यक्त की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. <u>परीक्षा जून–2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित नहीं की जा रहीं हैं। संज्ञानार्थ प्रस्तुत।</u>

परीक्षा समिति की 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या 16.11 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष परीक्षा जून–2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित नहीं की जा रहीं हैं। संज्ञानार्थ प्रस्तुत।
संलग्नक – पृष्ठ संख्या

परीक्षा समिति की 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या 16.11 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष परीक्षा जून–2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित न किये जाने की सूचना से परीक्षा समिति अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 52.03</u>

<u>दिनाँक 06–06–2018 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार</u>

1. <u>योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 28–10–2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि</u>

दिनाँक 28–10–2017 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक का **कार्यवृत्त** सभी सम्मानित सदस्यों को भेज दी गयी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक** 03 **पृष्ठ संख्या** 37-49 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 28–10–2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. <u>योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 28–10–2017 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना</u>

योजना बोर्ड अपनी पिछली बैठक दिनाँक 28–10–2017 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
25.01	योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 03–04–2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.02	योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 03–04–2017 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.03	विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.04	विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने पर	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

	विचार।		
25.05	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ.शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Secy) दिनाँक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ. शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Secy) दिनाँक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.06	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने विशिष्ट अतिथिगण हेतु निर्मित महिला बाथरूम को पुरूष बाथरूम बनाये जाने से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने विशिष्ट अतिथिगण हेतु निर्मित महिला बाथरूम को पुरूष बाथरूम बनाये जाने से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.07	विश्वविद्यालय में विज्ञान विद्या शाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा के अर्न्तगत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम को स्थापित किये जाने से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में विज्ञान विद्या शाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा के अर्न्तगत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम को स्थापित किये जाने से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.08	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं भूतल,	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

	प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण के अद्यतन स्थित से अवगत होना।	अतिथि कक्षों के निर्माण के अद्यतन स्थित से अवगत हुई।	
25.09	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.10	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.11	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी (डोम) लगाये जाने के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी (डोम) लगाये जाने के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
25.12	विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर की स्थापना किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर की स्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	कार्यवाही की जा रही है।

25.13	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाने से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाने से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

3. **योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनाँक 25—01—2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि**

दिनाँक 25—01—2018 को सम्पन्न योजना बोर्ड की आपातकालीन बैठक का कार्यवृत्त सभी सम्मानित सदस्यों को भेज दी गयी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक 04,** पृष्ठ संख्या 50-57 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 25—01—2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. **योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनाँक 25—01—2018 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना**

योजना बोर्ड अपनी पिछली आपातकालीन बैठक दिनाँक 25—01—2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :—

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही

26.01	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कम्युनिटी सेण्टर के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने यमुना परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टीस्टोरी कम्युनिटी सेण्टर का निर्माण जिसमें कम्युनिटी सेण्टर के बेसमेण्ट में पार्किंग की व्यवस्था, प्रथम तल में अतिथि गृह एवं भूतल में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों हेतु बड़े कक्ष/हाल एवं स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया। योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस कम्युनिटी सेण्टर का सदुपयोग विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों के लिए भी किया जायेगा।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
26.02	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु भूतल, प्रथम तल , द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
26.03	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में एक नलकूप एवं 200 कि0ली0 क्षमता की टंकी के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में एक नलकूप एवं 200 कि0ली0 क्षमता की टंकी के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
26.04	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन हेतु भवन के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन हेतु भवन के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।

26.05	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
26.06	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, आगरा एवं क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु निज भवन/भूखण्ड क्रय किये जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, आगरा एवं क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु निज भवन/भूखण्ड क्रय किये जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
26.07	विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष में योग मशीन जैसे ट्रेडमिल, साइकिल, पर्दे, शीशा एवं फिटनेस से सम्बन्धित अन्य उपकरण लगाये जाने व सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
26.08	विश्वविद्यालय के गंगा एवं सरस्वती परिसर में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर एवं सरस्वती परिसर में वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग हेतु अण्डरग्राउण्ड पार्किंग जिसमें बेसमेण्ट में चार पहिया वाहन तथा भूतल पर दो पहिया वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
26.09	विश्वविद्यालय के यमुना पसिर में पावर सप्लाई मीटर रूम, ट्राँसफारमर पैड के निर्माण, विद्युत	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना पसिर में पावर सप्लाई मीटर रूम, ट्राँसफारमर पैड के निर्माण, विद्युत केबल खरीदने एवं विद्युत भार बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

	केबल खरीदने एवं विद्युत भार बढ़ाये जाने पर विचार।	का निर्णय लिया। योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त कार्य सम्बन्धित विद्युत विभाग से सम्पर्क कर कराया जाय।	

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

5. **<u>योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनाँक 15–03–2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि</u>**

दिनाँक 15–03–2018 को सम्पन्न योजना बोर्ड की आपातकालीन बैठक का **कार्यवृत्त** सभी सम्मानित सदस्यों को भेज दी गयी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक 05 पृष्ठ संख्या** 58-62 ..... पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 15–03–2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

6. **<u>योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनाँक 15–03–2018 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना</u>**

योजना बोर्ड अपनी पिछली आपाकालीन बैठक दिनाँक 15–03–2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
27.01	उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द की आवश्कता एवं संस्थापना पर विचार।	योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द की आवश्कता एवं संस्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

27.02	विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द, फैजाबाद के कार्यालय हेतु भूमि/भवन क्रय किये जाने पर विचार	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द, फैजाबाद के कार्यालय हेतु भूमि/भवन क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
27.03	विश्वविद्यालय में विधि विद्या शाखा स्थापित किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में विधि विद्या शाखा स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
27.04	विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान विद्या शाखा (School of Earth Sciences) स्थापित किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान विद्या शाखा (School of Earth Sciences) स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने क निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

7. <u>उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द की आवश्कता एवं संस्थापना पर विचार</u>

विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। प्रदेश का विस्तार बहुत अधिक है और भौगोलिक दशाएं भी भिन्न–भिन्न है। शिक्षार्थियों की सुविधा की दृष्टि से एवं कार्य प्रणाली को गति देने के लिए प्रदेश में 11 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर बरेली, मेरठ, नोएडा, झाँसी आगरा एवं फैजाबाद में की गयी है।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ परिक्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के कार्य प्रणाली को गतिशील बनाने एवं केन्द्रों व विश्वविद्यालय के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु आजमगढ़ क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द की आवश्कता एवं संस्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

8. <u>इस विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने पर विचार</u>

शिक्षार्थियों की सुविधा की दृष्टिगत एवं इस विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद की भाँति समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जाना है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने इस विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

9. <u>अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड निर्धारण समिति की बैठक दिनाँक 02–06–2018 की अनुशंसा पर विचार</u>

अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड निर्धारण समिति की बैठक दिनाँक 02–06–2018 की अनुशंसा **संलग्नक** .....06..... **पृष्ठ संख्या** .....63..... पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड निर्धारण समिति की बैठक दिनाँक 02–06–2018 की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. <u>कार्यदायी संस्था, सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये उपभोग प्रमाण पत्र एवं उनके पत्र संख्या 359/निर्माण 36/7 दिनाँक 27–02–2018 के आलोक में समयान्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध के अनुसार तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद जो एक शासकीय प्रतिष्ठान है एवं शासन की नीतियों के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था घोषित है से अनुबन्ध गठित किया गया है, जिसके सापेक्ष उक्त कार्यदायी संस्था को अनुबन्ध की शर्तानुसार प्रथम किश्त में धनराशि रू. 133.90 लाख एवं द्वितीय किश्त में धनराशि रू. 117.00 लाख अवमुक्त किया गया है। सम्बन्धित निर्माण कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धक, सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या 359/निर्माण 36/7 दिनाँक 27–02–2018 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुये अवशेष धनराशि शीघ्र ही अवमुक्त किये जाने की मांग की है। उक्त के क्रम में सूच्य है कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित तत्कालीन भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति ने स्थलीय निरीक्षण करते हुये कुछ कमियां इंगित की थी, जिनके निराकरण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के सापेक्ष उक्त कार्यदायी संस्था ने अपने पत्र संख्या 986/निर्माण–36/32 दिनाँक 31–05–2018 के माध्यम से निम्नवत् अवगत कराया है :–

> *"आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु संख्या– 1,2,3, एवं 4 में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर दिया गया है, तथा बिन्दु संख्या– 05 में प्लास्टर के कार्य की गुणवत्ता मानकानुसार संतोष जनक है। जिसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय के पत्र सं0 ओ0यू0/245/2018 दिनाँक 16–05–2018 द्वारा नव गठित भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति जिसमें अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद अथवा उनके प्रतिनिधि भी सम्मिलित है, से अगले बैठक में निरीक्षण कराकर प्रेषित करा दी जायेगी।"*

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने कार्यदायी संस्था, सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये उपभोग प्रमाण पत्र एवं उनके पत्र संख्या

359/निर्माण 36/7 दिनाँक 27–02–2018 के आलोक में समयान्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध के अनुसार तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

11 **दिनाँक 31–05–2018 को उच्च सलाहकार समिति (विशिष्ट शिक्षा) की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार**

दिनाँक 31–05–2018 को उच्च सलाहकार समिति (विशिष्ट शिक्षा) की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा
संलग्नक 07 पृष्ठ संख्या 64-70 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने दिनाँक 31–05–2018 को उच्च सलाहकार समिति (विशिष्ट शिक्षा) की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

12. **विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले स्थायी अग्रिम को समाप्त करने तथा अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने यहाँ कम्प्यूटर, स्कैनर, इण्टरनेट एवं अन्य कार्यालय संचालन व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा ही किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किये जाने वाले प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 50/– में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 05–06–2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार**

विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले स्थायी अग्रिम को समाप्त करने तथा अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने यहाँ कम्प्यूटर, स्कैनर, इण्टरनेट एवं अन्य कार्यालय संचालन व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा ही किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किये जाने वाले प्रक्रियात्मक

शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 50/– में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 05–06–2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक 08 पृष्ठ संख्या 71 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले स्थायी अग्रिम को समाप्त करने तथा अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने यहाँ कम्प्यूटर, स्कैनर, इण्टरनेट एवं अन्य कार्यालय संचालन व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा ही किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किये जाने वाले प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 50/– में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 05–06–2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया एवं क्षेत्रीय केन्द्रो पर पंजीकृत शिक्षार्थियों के प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 100/– क्षेत्रीय केन्द्र के खाते में जमा किया जाय एवं व्यय का समायोजन क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

13. <u>क्षेत्रीय केन्द्र, वाराणसी हेतु भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी की गयी कार्यवाही से अवगत होना</u>

क्षेत्रीय केन्द्र, वाराणसी हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के पास उपलब्ध कृषकों के भूमि को खरीदे जाने के सम्बन्ध में भूमि की बाजार दर अथवा जो भी दर नियमानुकूल हो उस दर को सत्यापित कराने हेतु जिलाधिकारी वाराणसी को पत्र प्रेषित किये जाने से अवगत होना।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड क्षेत्रीय केन्द्र, वाराणसी हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के पास उपलब्ध कृषकों के भूमि को खरीदे जाने के सम्बन्ध में भूमि की बाजार दर अथवा जो भी दर नियमानुकूल हो उस दर को सत्यापित कराने हेतु जिलाधिकारी वाराणसी को पत्र प्रेषित किये जाने से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

14. <u>विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के तृतीय तल पर DORMITORY के निर्माण कराए जाने पर विचार</u>

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में आगन्तुकों/उनके साथ आने वाले स्टाफ इत्यादि के रुकने की आवश्यकता के दृष्टिगत अतिथि गृह के तृतीय तल DORMITORY के निमार्ण कार्य कराये जाने का निर्णय लिया।

योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि DORMITORY के निमार्ण हेतु विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से आगणन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

15. <u>विश्वविद्यालय कार्य हेतु 01 महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस वाहन क्रय किये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय में परीक्षाओं में प्रयुक्त होने वाले, राजकीय मुद्रणालय से उत्तर पुस्तिकाओं को लाने, उन्हें दूरस्थ अध्ययन केन्द्रों पर पहुँचाने, प्रवेश अनुभाग की सूचना विवरणिकाओं को उत्तर प्रदेश के दूरस्थ अध्ययन केन्द्रों पर प्रेषित करने, विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों हेतु वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, आवश्यकतानुसार पाठ्य–सामग्री को अध्ययन केन्द्रों पर प्रेषित करने आदि कार्य हेतु 01 महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस वाहन क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय कार्य हेतु 01 महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस वाहन क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

16. <u>उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 18/2018/515/सत्तर–4–2018(4)/2018 दिनाँक 26–03–2018 द्वारा विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वॉशरूम (टायलेट ब्लाक) के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सरस्वती परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम कम मल्टीपरपज हॉल एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के निर्माणाधीन द्वितीय तल के स्वीकृत मानचित्रों के टायलेट ब्लाक में आंशिक संशोधन पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वाशरूम (टायलेट ब्लाक) के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./121/2017 दिनाँक 19–04–2017 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किये गये आगणन धनराशि रू. 122.55 लाख को उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–18/2018/515/सत्तर–4–2018–3(4)/2018 दिनाँक 26–03–2018 (संलग्नक 09 पृष्ठ संख्या 72-73) द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त में धनराशि रू. 61.00 लाख प्रदान की गई है। प्रश्नगत निर्माण कार्य कस्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेस, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जाने हेतु शासन ने निर्देशित किया गया है। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था कस्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेस, यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद से सरस्वती परिसर में ऑडिटोरियम कम मल्टीपरपज हाल एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के निर्माण हेतु अनुबंध गठित किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में सरस्वती परिसर में ऑडिटोरियम कम मल्टीपरपज हाल एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के निर्माण हेतु स्वीकृत मानचित्र के वाशरूम (टायलेट ब्लाक) में शासन द्वारा स्वीकृत मानचित के अनुसार आंशिक संशोधन किया जाना है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 18/2018/515/सत्तर–4–2018(4)/2018 दिनाँक 26–03–2018 द्वारा विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वॉशरूम (टायलेट ब्लाक) के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सरस्वती परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम कम मल्टीपरपज हॉल एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के निर्माणाधीन द्वितीय तल के स्वीकृत मानचित्रों के टायलेट ब्लाक में आंशिक संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 52.04

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को प्रवेश हेतु आधार क्रमांक अनिवार्य न किये जाने पर विचार

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु विदेशी छात्रों के लिए आधार क्रमांक अनिवार्य नहीं होगा अपितु उक्त के स्थान पर प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों के पास पासपोर्ट, NET ID अथवा वैध पहचान–पत्र होना अनिवार्य है जिसकी छाया प्रति प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। विदेशी छात्रों के प्रवेश हेतु इस आशय का संशोधन UMS SOFTWARE PANEL के ADMISSION MANAGEMENT SYSTEM पर भी कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को प्रवेश हेतु आधार क्रमांक सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव

संलग्नक — 01

Minutes of Meeting

A meeting of School Board of Studies (School of Science) was held on 04.06.2018 at 11:00 AM in School of Science. The following members were present in the meeting.

1. Prof. (Dr.) Ashutosh Gupta, Director, School of Science
2. Dr. Shruti, Asst. Prof. (Statistics)
3. Ms. Marisha, Asst. Prof. (Computer Science)
4. Mr. Manoj Kumar Balwant, Asst. Prof. (Computer Science)
5. Dr. Dinesh Kumar Gupta, Academic Consultant, Chemistry, (special Invitee)

The following points were discussed and unanimously recommended:

1. Committee of School Board of Studies of School of Science accepted the recommendations of Board of Studies meeting held on 03.06.2018 for start of new programmes on "**Diploma in Vedic Mathematics**" and "**Certificate in Vedic Mathematics**" from session July 2018 after the due approval from Academic Council and Executive council. The course structure, eligibility, examination assessment, mode of admission, fees of the courses and detailed syllabus has been attached as annexure I.
2. The Committee of School Board of Studies of School of Science also accepted the recommendations of Board of Studies meeting held on 03.06.2018 regarding SLM for the programmes "**Diploma in Vedic Mathematics**" and "**Certificate in Vedic Mathematics**" as mentioned below:

Recommended SLM for Certificate Programme	Recommended SLM for Diploma Programme
१ वैदिक गणित— स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, प्रकाशक— मोतीलाल बनारसी दास, नई दिल्ली । २. वैदिक गणित निर्देशिका भाग— १ प्रकाशक— विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र । ३. भारत के प्रमुख गणिताचार्य, प्रकाशक— विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र । ४. व्यवहारिक खगोल परिचय, प्रकाशक— विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र ।	१ वैदिक गणित— स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, प्रकाशक— मोतीलाल बनारसी दास, नई दिल्ली । २. वैदिक गणित निर्देशिका भाग— १, २, प्रकाशक— विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र । ३. भारत के प्रमुख गणिताचार्य, प्रकाशक— विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र । ४. व्यवहारिक खगोल परिचय, प्रकाशक— विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र ।

The meeting ended with the vote of thanks.

04/6/18 04/6/18 4/6/18

(Dr. Ashutosh Gupta) (Dr. Shruti) (Marisha) (Manoj K. Balwant) (Dr. Dinesh Kumar Gupta)

उ. प्र. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद

गणित विषय के अध्ययन बोर्ड की बैठक का कार्यवृत

गणित विषय से सम्बंधित नवीन प्रस्तावित कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक: ओ. यू. /346/2018 दिनांक 30-05-2018 द्वारा गठित अध्ययन बोर्ड/ विशेषज्ञों की समिति की एक बैठक आज दिनांक 03-06-2018 को अपरान्ह 02:00 बजे निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा कक्ष मे प्रारम्भ हुई जिसमे निम्निलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1.	डॉ. आशुतोष गुप्ता निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा उ. प्र. रा. ट. मु. वि. वि., इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. पी. के. सिंह, विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ. जे. पी. सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गणित विभाग बी.एस.एन.वि.पी.जी. कॉलेज लखनऊ	सदस्य
4.	डॉ. श्रुति, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञान विद्याश्खा उ. प्र. रा. ट. मु. वि. वि., इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. दिनेश गुप्ता, शेक्षदिक परामर्शदाता, विज्ञान विद्याश्खा उ. प्र. रा. ट. मु. वि. वि., इलाहाबाद	(विशेष आमंत्रित सदस्य)
6.	श्री देवेन्द्र राव देशमुख, कोऑर्डिनेटर, वैदिक मैथमेटिक्स, सरस्वती शिक्षा संस्थान, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, सरस्वती विहार, रायपुर	(विशेष आमंत्रित सदस्य)
7.	डॉ. संतोष कुमार सिंह, प्रदेश निर्देशक एंड क्षेत्रीय वैदिक गणित प्रमुख, विद्या भारती, गोरखपुर	(विशेष आमंत्रित सदस्य)
8.	डॉ. एस. एन. चौरसिया असिस्टेंट डायरेक्टर (सेवानिवृत), शिक्षा विभाग, इलाहाबाद	(विशेष आमंत्रित सदस्य)

अध्यक्ष द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा विज्ञान विद्याशाखा के अंतर्गत वैदिक गणित मे नए कार्यक्रम चलाये जाने के सम्बन्ध मे विचार विमर्श के उपरांत समिति ने सर्वसम्मति से "डिप्लोमा इन वैदिक मैथमेटिक्स" एवं "सर्टिफिकेट इन वैदिक मैथमेटिक्स" कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम (संलग्नक 1) को प्रस्तावित करते हुए उक्त कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु विद्यापरिषद एवं कार्यपरिषद से स्वीकृति प्राप्त किये जाने की संस्तुति की |

डॉ. आशुतोष गुप्ता	प्रो. पी. के. सिंह	डॉ. जे. पी. सिंह	डॉ. श्रुति
डॉ. दिनेश गुप्ता	श्री देवेन्द्र राव देशमुख	डॉ. संतोष कुमार सिंह	डॉ. एस. एन. चौरसिया

Annexure-01

Certificate in Vedic Mathematics [CVM]

1. कार्यक्रम कोड / ProgrammeCode : CVM
2. कार्यक्रम अवधि वर्षो में / Programme Duration :Minnimun 06 month Maximum 02 Year
3. प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता / Minimum Eligibility for Admission: 10 + 2
4. प्रवेश प्रक्रिया / Admission Procedure : Open
5. माध्यम / Medium : हिन्दी
6. अधिन्यास कार्य / Assignment Work : आवश्यक नहीं / Not Essential
7. कार्यक्रम शुल्क प्रतिवर्ष / Programme Fee Per Year : 3500/-
8. पाठ्य सामग्री / Self Learning Material : पाठ्य सामग्री हिन्दी में उपलब्ध है।
9. परीक्षा /Examination : The assessment is based on Terminal examination of each paper with Max. .Marks 100.
   प्रत्येक पेपर का मूल्यांकन अधिकतम १०० अंक की टर्मिनल परीक्षा पर आधारित है।
10. कार्यक्रम का विवरण / **Description of Programme:**

१. प्रस्तावना :

प्राचीनकाल से अपने देश में गणित को प्रमुख स्थान दिया जाता रहा है। महर्षि लगध ने वेदांग ज्योतिष में कहा है कि –

''यथा शिखा मयूराणाम् नागाणाम् मणयोयथा।
तद्वद् वेदांग शास्त्राणाम्, गणितम् मूर्धनिस्थितम्!!''

गणित की आवश्यकता एवं महत्व को बताते हुए महान गणितज्ञ महावीराचार्य जी कहते हैं कि –

''बहुभिर्विप्रलापैः किं त्रैलोक्ये सचराचरे।
यत्किंचद्वस्तु तत्सर्वं गणितेन बिना न हि।।''

वेदकाल से भारत में गणित की उज्जवल परम्परा चली आ रही है तथा संस्कृत में गणित का मूल ज्ञान निहित है। इसे वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने के लिए इस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता है।

२. पाठ्यक्रम का उद्देश्य –

१. भारतीय गणित का इतिहास, भारतीय गणितज्ञों का योगदान एवं विश्व को गणित के क्षेत्र में भारत की देन से वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराकर उसमें गौरव का भाव जागृत करना।
२. प्राचीन काल से भारत में गणित की उज्ज्वल परम्परा दिखाई देती है। अतीत से वर्तमान तक के इस गणित ज्ञान से जन–जन को लाभान्वित करना।
३. वैदिक गणित के सम्बन्ध में स्वामी भारतीकृष्ण तीर्थ (१४ मार्च १८८४ से ०२ फरवरी १९६०) ने संस्कृत में सोलह सूत्रों एवं तेरह उपसूत्रों की रचना कर उनके प्रयोग से गणित के प्रश्नों का हल करनेकी रोचक विधियाँ अपने ग्रन्थ में दी हैं, जो वर्तमान गणित शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाती हैं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इन विधियों से छात्रों को परिचित कराना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है।

३. पाठ्यक्रम संरचना /Course Structure:

Course Code	Title of the Course	Credits	M. Marks
CVM-01	भारत में गणित की उज्ज्वल परम्परा	8	100
CVM -02	*वैदिक गणित*	8	100
Total Credits		16	200

वैदिक गणित प्रमाण पत्र कार्यक्रम

प्रश्न पत्र — प्रथम

CVM-01: *भारत में गणित की उज्ज्वल परम्परा* *अंक— १००*

इकाई—१ : गणित की प्रमुख शाखाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति

इकाई—२ : कूटांक
१. व्यंजनांक पद्धति
२. वर्णांक पद्धति
३. शब्दांक पद्धति

इकाई—३ : पंचांग
१. भारतीय काल गणना
२. पंचांग— तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण
३. राष्ट्रीय पंचांग

इकाई—४ : प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक—
शुल्व सूत्र—
१. बौधायन प्रमेय
२. बौधायन प्रमेय का सत्यापन
३. बौधायन शुल्वसूत्र में $\sqrt{2}$ का मान
४. शुल्वसूत्र में ज्यामिति— १. गरूण वेदी, २. कूर्म वेदी
५. पाई (π) का भारतीय इतिहास ।

इकाई—५ : भारत के प्रमुख गणिताचार्य — परिचय एवं कृतियाँ
१. आर्यभट
२. भास्कराचार्य द्वितीय
३. श्रीनिवास रामानुजन

संदर्भ साहित्य—

१. वैदिक गणित— स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, प्रकाशक— मोतीलाल बनारसी दास, नई दिल्ली ।
२. वैदिक गणित निर्देशिका भाग— १, प्रकाशक— विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र ।
३. भारत के प्रमुख गणिताचार्य, प्रकाशक— विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र ।
४. व्यवहारिक खगोल परिचय, प्रकाशक— विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र ।

प्रश्न पत्र – द्वितीय

CVM-02: वैदिक गणित अंक– १००

इकाई–१ : स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ द्वारा रचित पुस्तक वैदिक गणित एवं उनका परिचय, सूत्र एवं उपसूत्र का लेखन अर्थ एवं व्याख्या।

इकाई–२

१. बीजांक एवं बीजांक की उपयोगिता– जोड़, घटाना, गुणा, भाग में उत्तर की जांच

२. गुणा–

१. एकन्यूनेन पूर्वेण विधि २. एकाधिकेन पूर्वेण, अन्त्ययोर्दशकेऽपि विधि

३. निखिलम् विधि– आधार, उपाधार (१०, १००, १०००)

४. ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम् विधि

इकाई–३

१. वर्ग–

१. आनुरूप्येण विधि २. संकलन–व्यवकलनाभ्याम विधि

३. यावदूनं तावदनीकृत्य वर्गं च योजयेत विधि

४. द्वंद्व योग विधि

२. वर्गमूल–

१. विलोकनम् विधि २. द्वंद्व योग विधि

३. घन–

१. आनुरूप्येण विधि २. यावदूनं तावदनीकृत्य वर्गं च योजयेत विधि

३. आनुरूप्येण, यावदूनं तावदनीकृत्य वर्गं च योजयेत विधि

४. घनमूल–

१. विलोकनम् विधि

इकाई–४

१. विनकुलम (ऋणांक)– ऋणांक ज्ञात करने की पद्धति एवं अनुप्रयोग

२. भाग–

१. ध्वजांक विधि २. निखिलम विधि

३. परावर्त्य विधि

३. विभाजनीयता–

१. आश्लेषण विधि

इकाई–५

१. मिश्रित गणनाएं

१. ऋणांकों के अनुप्रयोग द्वारा योग– अन्तर की मिश्रित गणनायें

२. गुणनफलों का योग, अन्तर

३. वर्गों का योग, अन्तर

४. गुणा–भाग की मिश्रित गणनायें

२. आवर्त दशमलव

३. बीज गणित–

१. गुणा– ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम विधि,

२. बीजीय गुणनफलों का योग, अन्तर

३. भाग– परावर्त्य विधि

Diploma in Vedic Mathematics [DVM]

1. कार्यक्रम कोड / ProgrammeCode : DVM
2. कार्यक्रम अवधि वर्षो में / Programme Duration : Minimum 01 Year Maximum 03 Year
3. प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता / Minimum Eligibility for Admission: 10 + 2
4. प्रवेश प्रक्रिया / Admission Procedure : Open
5. माध्यम / Medium : हिन्दी
6. अधिन्यास कार्य / Assignment Work : आवश्यक नहीं / Not Essential
7. कार्यक्रम शुल्क प्रतिवर्ष / Programme Fee Per Year : 5500/-
8. पाठ्य सामग्री / Self Learning Material : पाठ्य सामग्री हिन्दी में उपलब्ध है।
9. परीक्षा /Examination : The assessment is based on Terminal examination of each paper with Max. Marks 100.
   प्रत्येक पेपर का मूल्यांकन अधिकतम १०० अंक की टर्मिनल परीक्षा पर आधारित है।
10. कार्यक्रम का विवरण / Description of Programme:

१. प्रस्तावना :

प्राचीनकाल से अपने देश में गणित को प्रमुख स्थान दिया जाता रहा है। महर्षि लगध ने वेदांग ज्योतिष में कहा है कि –

''यथा शिखा मयूराणाम् नागाणाम् मणयोयथा।
तद्वद् वेदांग शास्त्राणाम्, गणितम् मूर्धनिस्थितम्!!''

गणित की आवश्यकता एवं महत्व को बताते हुए महान गणितज्ञ महावीराचार्य जी कहते हैं कि –

''बहुभिर्विप्रलापैः किं त्रैलोक्ये सचराचरे।
यत्किंचद्वस्तु तत्सर्वं गणितेन बिना न हि।।''

वेदकाल से भारत में गणित की उज्जवल परम्परा चली आ रही है तथा संस्कृत में गणित का मूल ज्ञान निहित है। इसे वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने के लिए इस प्रकार के पाठ्यक्रम की आवश्यकता है।

२. पाठ्यक्रम का उद्देश्य –

१. भारतीय गणित का इतिहास, भारतीय गणितज्ञों का योगदान एवं विश्व को गणित के क्षेत्र में भारत की देन से वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराकर उसमें गौरव का भाव जागृत करना।
२. प्राचीन काल से भारत में गणित की उज्ज्वल परम्परा दिखाई देती है। अतीत से वर्तमान तक के इस गणित ज्ञान से जन–जन को लाभान्वित करना।
३. वैदिक गणित के सम्बन्ध में स्वामी भारतीकृष्ण तीर्थ (१४ मार्च १८८४ से ०२ फरवरी १९६०) ने संस्कृत में सोलह सूत्रों एवं तेरह उपसूत्रों की रचना कर उनके प्रयोग से गणित के प्रश्नों का हल करनेकी रोचक विधियाँ अपने ग्रन्थ में दी हैं, जो वर्तमान गणित शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाती हैं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इन विधियों से छात्रों को परिचित कराना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है।

३. पाठ्यक्रम संरचना /Course Structure:

Course Code	Title of the Course	Credits	M. Marks
DVM-01	भारत में गणित की उज्ज्वल परम्परा	8	100
DVM-02	भारत के प्रमुख गणिताचार्य *(परिचय, कृतियाँ एवं योगदान)*	8	100
DVM-03	वैदिक गणित (अंकगणित)	8	100
DVM-04	वैदिक गणित (बीजगणित, त्रिकोणमिति एवं निर्देशांक ज्योमिति)	8	100
Total Credits		32	400

वैदिक गणित प्रमाण पत्र कार्यक्रम

प्रश्न पत्र — प्रथम

DVM-01: भारत में गणित की उज्ज्वल परम्परा अंक— १००

इकाई—१

गणित की प्रमुख शाखाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—
अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति

इकाई—२

कूटांक—

१. व्यंजनांक पद्धति
२. वर्णांक पद्धति
३. शब्दांक पद्धति

इकाई—३ पंचांग

१. भारतीय काल गणना
२. पंचांग— तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण
३. राष्ट्रीय पंचांग

इकाई—४

प्राचीन भारतीय गणित की एक झलक .

शुल्व सूत्र—

१. बौधायन प्रमेय
२. बौधायन प्रमेय का सत्यापन
३. बौधायन शुल्वसूत्र में $\sqrt{२}$ का मान
४. शुल्वसूत्र में ज्यामिति— १. गरूण वेदी, २. कूर्म वेदी
५. पाई (π) का भारतीय इतिहास ।

इकाई—५

१. जैन साहित्य में गणित ।
२. वेध—शाला
३. मेरू प्रस्तार

प्रश्न पत्र— द्वितीय

DVM-02: भारत के प्रमुख गणिताचार्य — (परिचय, कृतियाँ एवं योगदान) अंक— १००

इकाई—१

१. आर्यभट
२. वराहमिहिर

इकाई—२

१. ब्रह्मगुप्त
२. श्रीधराचार्य

इकाई—३

१. महावीराचार्य
२. भास्कराचार्य द्वितीय

इकाई—४

१. नारायण पंडित
२. माधव

इकाई—५

१. स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ
२. श्रीनिवास रामानुजन

प्रश्न पत्र — तृतीय

DVM-03: वैदिक गणित (अंकगणित) अंक— १००

इकाई—१

वैदिक गणित ग्रंथ परिचय, सूत्र एवं उपसूत्र का लेखन, अर्थ एवं व्याख्या ।

इकाई—२

१. बीजांक एवं बीजांक की उपयोगिता — जोड़, घटाना, गुणा, भाग मे उत्तर की जांच

२. गुणा—

१. एकन्यूनेन पूर्वेण विधि २. एकाधिकेन पूर्वेण, अन्त्ययोर्दशकेऽपि विधि

३. निखिलम् विधि— आधार, उपाधार (१०, १००, १०००)

४. ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम् विधि

इकाई—३

१. वर्ग—

१. आनुरूप्येण विधि २. संकलन—व्यवकलनाभ्याम् विधि

३. यावदूनं तावदनीकृत्य वर्ग च योजयेत विधि

४. द्वंद्व योग विधि

२. वर्गमूल—

१. विलोकनम् विधि २. द्वंद्व योग विधि

३. घन—

१. आनुरूप्येण विधि २. यावदूनं तावदनीकृत्य वर्ग च योजयेत् विधि

३. आनुरूप्येण, यावदूनं तावदनीकृत्य वर्ग च योजयेत विधि

४. घनमूल—

१. विलोकनम् विधि २. भाग आधारित विधि

इकाई—४

१. विनकुलम (ऋणांक)— ऋणांक ज्ञात करने की पद्धति एवं अनुप्रयोग

२. तीन संख्याओं तक का गुणा— निखिलम विधि,
दो अंकों की किन्हीं भी तीन संख्याओं का गुणा— ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम् विधि

३.भाग—

१. ध्वजांक विधि २. निखिलम् विधि

३. परावर्त्य विधि

४. विभाजनीयता—

१. आश्लेषण विधि

इकाई—५

१. मिश्रित गणनाएं

१. ऋणांकों के अनुप्रयोग द्वारा योग— अन्तर की मिश्रित गणनायें

२. गुणनफलों का योग, अन्तर

३. वर्गों का योग, अन्तर

४. गुणा— भाग की मिश्रित गणनायें

२. आवर्त दशमलव

प्रश्न पत्र — चतुर्थ

A-04: वैदिक गणित (बीजगणित, त्रिकोणमिति एवं निर्देशांक ज्योमिति) अंक : १००

इकाई–१

बीजगणित–

१. गुणा– सूत्र ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम्

२. बीजीय व्यंजकों के गुणनफलों का योग, अन्तर

३. भाग– परावर्त्य विधि

इकाई–२

१. बीजीय गुणनखण्ड– द्विघाती, एवं त्रिघाती व्यंजको के गुणनखण्ड, उत्तर की जांच

२. महत्तम समापवर्तक– संकलन– व्यवकलनाभ्याम विधि

३. युगपत समीकरण– परावर्त्य विधि

३. वर्ग समीकरण– चलन–कलनाभ्याम् विधि

इकाई–३

आंशिक भिन्न

प्रकार १. जब हर के गुणन खण्डो की पुनारावृत्ति न हो तथा वे रैखिक हों।

प्रकार २. जब हर में एक या अधिक गुणन खण्डो की पुनारावृत्ति होती है। जैसे वर्ग, घन आदि।

प्रकार ३. जब भिन्न के हर में द्विघाती गुणन खण्ड हों।

इकाई–४

त्रिकोणमिति–

१. बौधायन संख्या (त्रिभुजांक)

२. θ एवं $(90-\theta)$ की बौधायन संख्या, $(-\theta)$ की बौधायन संख्या

३. दो कोणों के योग एवं अंतर की बौधायन संख्या

४. दो गुने कोण की बौधायन संख्या

५. कोणार्द्धक की बौधायन संख्या

इकाई–५

निर्देशांक ज्यामिति

१. दो बिन्दुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण

२. द्विघातीय व्यापक समीकरण से सरल रेखा के समीकरण अलग–अलग करना

३. रेखा का त्रिभुजांक

४. दो रेखाओं के बीच का कोण

संदर्भ साहित्य–

१. वैदिक गणित– स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, प्रकाशक– मोतीलाल बनारसी दास, नई दिल्ली ।

२. वैदिक गणित निर्देशिका भाग– १, २, प्रकाशक– विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र ।

३. भारत के प्रमुख गणिताचार्य, प्रकाशक– विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र ।

४. व्यवहारिक खगोल परिचय, प्रकाशक– विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान, कुरूक्षेत्र ।

संलग्नक-02

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)

फाफामऊ इलाहाबाद–211021

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	23 वीं
दिनांक	:	11 अक्टूबर 2017
समय	:	अपराह्न 03.30 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

13/10/17
माननीय कुलपति जी
कृपया अनुमोदन करना चाहे।
12/10/17

कार्यसूची बिन्दु संख्या 23.04

एकल विषय में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि/प्रमाणपत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार।

एकल विषय उत्तीर्ण छात्रों के सम्बन्ध में अभी तक के निर्णय के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षार्थी से ग्रेजुएशन की अंकतालिका प्राप्त करते हुए उन्हें एकल विषय का प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिया जाय। इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने की अर्हता स्नातक उत्तीर्ण है। पूर्व निर्णय के अनुसार छात्र ने जिस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किया है उसका प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही एकल विषय में प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने की संस्तुति की गई थी। परन्तु लगभग ऐसे 35,000 शिक्षार्थियों से साक्ष्य प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है तथा ये अव्यवहारिक भी है जिसके कारण इसका निष्पादन सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में उचित होगा की सभी एकल विषय उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिया जाय। यदि किसी छात्र द्वारा बिना स्नातक किए इस कार्यक्रम में प्रवेश लिया गया होगा तो इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में आने पर उसकी अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिक्षार्थी स्नातक अंक–तालिका व पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ स्वयं उपस्थित होता है तो उसे एकल विषय का प्रमाण–पत्र दे दिया जाए।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 23.05

वेरीफिकेशन एवं ट्रान्सक्रिप्ट से सम्बन्धित प्रकरणों पर शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विचार।

प्रायः विभिन्न संस्थाओं के द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों के अंक–पत्र/प्रमाण–पत्र के सत्यापन तथा ट्रान्सक्रिप्ट बनाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्राप्त होते रहते हैं। जिसको सम्पन्न करने में विश्वविद्यालय का धन व समय दोनों व्यय होता है। ऐसे में उचित होगा कि अब तक निःशुल्क रूप में सम्पन्न किए जा रहे इन कार्यों हेतु शुल्क निर्धारित कर दिया जाए। प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावित शुल्क

वेरीफिकेशन हेतु– 300/– रूपया
ट्रान्सक्रिप्ट हेतु– 500/– रूपया

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से वेरीफिकेशन एवं ट्रान्सक्रिप्ट हेतु प्रस्तावित शुल्क रू0 500/– पर सहमति जताई।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम्, (सेक्टर – एफ) फाफामऊ

इलाहाबाद – 211013

सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्।।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	16
दिनांक	:	26 नवम्बर 2013
समय	:	पूर्वाह्न 11.00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

कार्यसूची बिन्दु संख्या 16.11

विश्वविद्यालय की सत्रान्त परीक्षाओं में सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं के प्रयोग एवं तत्सम्बन्धी व्यवस्था पर विचार।

वर्तमान में स्टेपल की हुई उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जा रहा है परीक्षाओं में अनियमितता रोकने व सुचिता को ध्यान में रखते हुये परीक्षाओं में सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं के प्रयोग पर विचार आवश्यक है।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुये संस्तुति की जिसका विवरण निम्नवत है:

1. अबतक उपलब्ध स्टेपल की हुई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाय उसके पश्चात सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का ही प्रयोग किया जाय।

2. सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करने के परीक्षा सत्र से "ब" उत्तर पुस्तिका का प्रयोग बन्द कर दिया जाय एवं इसका उल्लेख प्रवेश विवरणिका में भी किया जाय कि परीक्षा में केवल "अ" उत्तर पुस्तिकायें दी जायेगी कोई अनुपूरक उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी।

3. "अ" उत्तर पुस्तिका में ही कुल 4 अतिरिक्त पृष्ठ जोड दिये जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 16.12

एक परीक्षक द्वारा सामान्य स्थिति में प्रतिदिन मुल्याकंन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या के निर्धारण पर विचार।

परीक्षकों द्वारा प्रतिदिन उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन करने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या निर्धारण करना आवश्यक प्रतीत होता है जिससे मूल्यांकन की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मूल्यांकन करने हेतु प्रतिदिन अधिकतम 50 पी. जी. कार्यक्रम या अधिकतम 75 यू. जी. कार्यक्रम की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन करने हेतु इस शर्त पर दी जाय कि परीक्षक कम से कम छः घण्टे रुक कर मुल्यांकन करे। परीक्षा समिति द्वारा एक मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम एक परीक्षा सत्र में यू. जी. कार्यक्रम की कुल अधिकतम 500 व पी. जी. कार्यक्रम की अधिकतम 400 उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन हेतु देने की संस्तुति की गयी।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

परीक्षा दिसम्बर 2017 में अनुचित साधन (UFM) के आरोपित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में निर्णय निम्नवत है–

क. सं.	छात्र का नाम	नामांकन संख्या	पेपर कोड	निर्णय
1	श्री बृजेश कुमार यादव	71380223002333	PGBCH-09	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।
2	सुश्री लक्की रानी	71051201001507	MASY-02	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
3	सुश्री अंशू त्रिपाठी	72051202017923	BLIS-02-N	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।
4	श्री नरेन्द्र कुमार यादव	72872986018478	DYS-03	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।
5	सुश्री पूजा यादव	72374986024330	DYS-03	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
6	श्री रमाशंकर यादव	72037202002170	BLIS-04	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।
7	सुश्री जूली कुमारी	71296202001165	BLISS-04	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
8	श्री मुदित कुमार गुप्ता	720051009020009	PGDYO-03	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।
9	श्री शुभम वर्मा	52120105000436	BCA-E10	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।
10	सुश्री कंचन कुमारी पाल	72690986001927	DYS-03	सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा अगले तीन वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय, परीक्षा में बैठने से निरर्हित कर दिया जाय।
11	सुश्री वर्षा सिंह	62168703005076	MCA-13	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।

(परीक्षा नियंत्रक)

संलग्नक - 03

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 28–10–2017 को अपराह्न 3.00 बजे विश्वविद्यालय कमेटी कक्ष में सम्पन्न योजना बोर्ड की 25वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. एम.पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. जे.एन. मिश्र, अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, पूर्व वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	डॉ. इति तिवारी एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	श्री एस.पी. सिंह, वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	आमंत्रित सदस्य
6.	प्रो. (डॉ. जी.एस. शुक्ल) कुलसचिव, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

1. डॉ. अरविन्द दीक्षित,
   एसोसिएट प्रोफेसर, वी.एस.एस.डी. कालेज,
   कानपुर
2. प्रो. एच.सी. पोखरियाल,
   अधिशाषी निदेशक, स्कूल ऑफ ओपेन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय,
   दिल्ली–110009
3. डॉ. आशुतोष गुप्ता,
   निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
4. डॉ. दिनेश सिंह,
   सहायक निदेशक/असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.01

योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 03–04–2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 03–04–2017 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त सभी सम्मानित सदस्यों को भेज दी गयी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक 01 पृष्ठ संख्या 14-27 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 03–04–2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.02

योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 03–04–2017 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना

योजना बोर्ड अपनी पिछली बैठक दिनाँक 03–04–2017 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
24.01	योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 19–11–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
24.02	योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनाँक 19–11–2016 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
24.03	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
24.04	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–01 एवं टाइप–02 से सम्बन्धित निर्माण कार्य के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–01 एवं टाइप–02 से सम्बन्धित निर्माण कार्य के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

24.05	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–03 से सम्बन्धित निर्माण कार्य के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–03 से सम्बन्धित निर्माण कार्य के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
24.06	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी लगाये जाने का निर्णय लिया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
24.07	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
24.08	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल में निर्मित भवन की साज–सज्जा कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल में निर्मित भवन की साज–सज्जा कराये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
24.09	विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

24.10	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन निर्माण के पूर्ण होने से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन निर्माण के पूर्ण होने से अवगत हुई एवं 12/12, कमला नेहरू रोड, (के.पी. गर्ल्स इण्टरमीडिएट कालेज के पास,) सिविल लाइन्स, इलाहाबाद स्थित क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद (किराए के भवन) को नवनिर्मित भवन में शीघ्र स्थानान्तरित किये जाने की संस्तुति की।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
24.11	विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित 02 वी.आई.पी.कक्षों को सुसज्जित कराये जाने से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित 02 वी.आई.पी.कक्षों को सुसज्जित कराये जाने से अवगत हुई एवं विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित भूतल पर (03 कमरे) एवं प्रथम तल में 01 वी. आई.पी. कक्ष में कमोट (वेस्टर्न) लगाये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानसार कार्यवाही की जा चुकी है।
24.12	विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों (गंगा, यमुना एवं सरस्वती) में गार्ड रूम बनाये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों (गंगा, यमुना एवं सरस्वती) में गार्ड रूम बनाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानसार कार्यवाही की जा रही है।
24.13	विश्वविद्यालय कार्य हेतु 01 टाटा ACE गाड़ी क्रय किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय कार्य हेतु 01 टाटा ACE गाड़ी क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	कार्यवाही किया जाना है।
24.14	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु भूमि क्रय किये जाने से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु भूमि क्रय किये जाने से अवगत हुई एवं अवशेष धनराशि निर्धारित तिथि तक भुगतान किए जाने की संस्तुति की।	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ को सम्पूर्ण भुगतान कर भूमि के रजिस्ट्री की कार्यवाही की जा चुकी है।
24.15	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, गोरखपुर एवं वाराणसी हेतु भूमि/भवन के क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, गोरखपुर एवं वाराणसी हेतु भूमि/भवन के क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई एवं शेष समस्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों पर भूमि/भवन क्रय किये जाने की	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

24.16	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद से याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के प्रथम तल में स्थानान्तरित आडियो विजुअल लैब में साउण्ड प्रूफिंग एवं सुसज्जित कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद से याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के प्रथम तल में स्थानान्तरित आडियो विजुअल लैब में साउण्ड प्रूफिंग एवं सुसज्जित कराये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानसार कार्यवाही की जा चुकी है।
24.17	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में छात्र/छात्राओं/आगन्तुकों हेतु वाशरूम बनाये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में छात्र/छात्राओं/आगन्तुकों हेतु वाशरूम बनाये जाने का निर्णय लिया।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.03

विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत होना

विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण हेतु दिनाँक 06–09–2016 को कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद से गठित अनुबन्ध के अनुसार धनराशि के अवमुक्ति के 15 महीने में कार्य पूर्ण किया जाना है। दिनाँक 06–09–2016 को अनुबंधित धनराशि रू. 988.34 लाख का 25% (रू. 247 लाख) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किया जा चुका है। निर्माण इकाई के प्रगति विवरण के अनुसार प्लिंथ बीम का कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.04

विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम द्वितीय तल पर होने के कारण दोनों कक्ष में गर्मी बनी रहती है। सर्वर के 24 घण्टे सुचारु रूप से संचालन हेतु दोनों ए.सी. 24 घण्टे चलाने के बावजूद भी सर्वर संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। उक्त के दृष्टिगत गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.05

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ.शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Secy) दिनाँक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ.शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Secy) दिनाँक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से दिन भर शिक्षा सम्बन्धित कार्यक्रमों से शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के लाभान्वयन हेतु विश्वविद्यालय ने मा. कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय, वित्त अधिकारी कार्यालय, कम्प्यूटर लैब, कैन्टीन लन्च हाल, विद्या शाखाओं हेतु कुल 07 टी.वी. क्रय किया है।

उक्त विभागों/अनुभागों में टी.वी. की आपूर्ति हेतु ई–कामर्स वेबसाइट Amazon.in के माध्यम से क्रयादेश दिया जा चुका है। इस हेतु प्रति टी.वी. रु. 12498/– की दर से कुल 07 टी.वी. (रु. 87486/–) क्रय किया जा चुका है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ.शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Secy) दिनाँक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.06

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने विशिष्ट अतिथिगण हेतु निर्मित महिला बाथरूम को पुरूष बाथरूम बनाये जाने से अवगत होना

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में दीक्षान्त समारोह हेतु विशिष्ट अतिथिगण हेतु मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने निर्मित महिला बाथरूम को पुरूष बाथरूम रु. 11,124 लागत से बनाया गया।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने विशिष्ट अतिथिगण हेतु निर्मित महिला बाथरूम को पुरूष बाथरूम बनाये जाने से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.07

विश्वविद्यालय में विज्ञान विद्या शाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा के अर्न्तगत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम को स्थापित किये जाने से अवगत होना

विश्वविद्यालय के सररस्वती परिसर में विज्ञान विद्याशाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्याशाखा के अर्न्तगत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की गयी जिसके द्वारा विभिन्न विषयो को ई कन्टेन्ट में बदलना, सेमीनार/वर्कशॉप/ट्रेनिग प्रोगाम, मैसिव ओपेन ऑन–लाइन कोर्स के अर्न्तगत वीडियो लैक्चर तैयार करने के लिए कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम हेतु निम्नवत सामग्रियो का कय कर स्थापित किया जा चुका है। जिसका विवरण निम्नवत है–

Sr. no.	Item	Total
1.	Online UPS	Rs.92000/-
2.	Furniture	Rs.77640/-
3.	Wired networking for 24 P.C.	Rs. 65000/-
4.	Digital Podium	Rs. 82,875/-
5.	Projector and Projector Screen	Rs.67000+13056=Rs.80,056/-
6.	Interactive Monitor	Rs. 90250/-
7.	L.G. A.C	Rs. 1,61,212.4/-

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में विज्ञान विद्या शाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा के अर्न्तगत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम को स्थापित किये जाने से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.08

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण के अद्यतन स्थित से अवगत होना

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण हेतु मानचित्र सहित प्रारम्भिक आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 757, 758 दिनाँक 10–08–2017 एवं पत्र संख्या 846 दिनाँक 26–08–2017 द्वारा सरकारी संस्थाओं क्रमशः महाप्रबन्धक (वाणिज्य), उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ; प्रबन्ध निदेशक, सी.एण्ड डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम, टी.सी.–38–वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ एवं अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–03, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर–9, वृन्दावन योजना, लखनऊ से प्रारम्भिक आगणन मानचित्र सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। उपरोक्त कार्यदायी संस्थाओं को पुनः अनुस्मारक पत्र संख्या ओ.यू./913/2017, ओ.यू./914/2017 एवं ओ.यू./915/2017 दिनाँक 11–09–2017 प्रेषित किये गये। अद्यतन कुल 04 संस्थाओं परियोजना प्रबन्धक, यूनिट –33, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ.प्र. जल निगम 263, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद से धनराशि रू. 385.03 लाख; परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इकाई–11, 3/20 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से धनराशि रू. 443.65 लाख; परियोजना प्रबन्धक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्, निर्माण इकाई–3, आफिस काम्पलेक्स, (द्वितीय तल), सेक्टर–9, वृन्दावन योजना, लखनऊ से धनराशि रू. 238.03 लाख एवं परियोजना प्रबन्धक, यूनिट –13, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ.प्र. जल निगम, 2/18, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ से धनराशि रू. 317.05 लाख के आगणन प्राप्त हुये हैं, जिनमें परियोजना प्रबन्धक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्, निर्माण इकाई–3, आफिस काम्पलेक्स, (द्वितीय तल), सेक्टर–9, वृन्दावन योजना, लखनऊ का आगणन धनराशि रू. 238.03 लाख न्यूनतम है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने उक्त बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण के अद्यतन स्थित से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.09

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

योजना बोर्ड की बैठक दिनाँक 19--11--2016, विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 21--11--2016, वित्त समिति की बैठक दिनाँक 22--11--2016 की संस्तुति एवं कार्य परिषद की बैठक दिनाँक 25--11--2016 के निर्णय के अनुपालन में क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली के लिए भूखण्ड आवंटन हेतु बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगा नगर आवासीय योजना में नर्सरी स्कूल भूखण्ड के आवंटन हेतु आवेदन किया गया। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त आवेदन को निरस्त करने के उपरान्त पुनः बरेली क्षेत्रीय केन्द्र के लिए भूमि के आबंटन हेतु बरेली विकास प्राधिकरण के रामगंगा नगर आवासीय योजना के अम्बर खण्ड सेक्टर 03 में सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगितायें (प्रथम) भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 1106.10 वर्गमीटर के आवंटन हेतु मूल्य रु. 12770/- प्रति स्क्वायर मीटर की दर से भूखण्ड के कुल मूल्य रु.1,41,24,897/— का 10 प्रतिशत रू. 14,12,000/— अर्नेस्ट मनी के साथ आवेदन किया गया, जिसे स्वीकृत करते हुए बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड का आवंटन किया गया है। आबंटित भूखण्ड के कुल क्रय मूल्य रु. 1,41,24,897/— (14,12,000 + 21,19,224 + 1,05,93,673) का भुगतान किया जा चुका है।

उक्त भूखण्ड का निबन्धन कराने के सम्बन्ध में सम्पत्ति प्रभारी, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पत्र संख्या 6088/ब0वि0प्रा0/2017—18 दिनाँक 22—09—2017 (संलग्नक 02 पृष्ठ संख्या 28) के अनुसार निम्नलिखित औपचारिकताएं पूर्ण की जानी हैं :—

1.	आवंटित भूखण्ड हेतु कार्नर चार्ज 10 प्रतिशत	रू0—14,12,490/-
2.	फ्री—होल्ड (1,41,24,897/- + 14,12,490/-) का 12 प्रतिशत	रू0—18,64,487/-
3.	स्टाम्प पेपर	रू0—12,18,200/-
4.	स्टाम्प पेपर	रू0—50/-

5. रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करने हेतु आपके विभाग के प्राधिकृत अधिकारी का विवरण एवं प्राधिकृत पत्र की प्रति उपलब्ध कराया जाना।

6. निबन्धन कार्यालय में जमा कराने हेतु नियमानुसार रजिस्ट्री शुल्क।
7. प्राधिकृत अधिकारी का पासपोर्ट साईज के दो फोटो तथा आई.डी.।
8. प्राधिकृत अधिकारी का भूखण्ड पर खड़े होकर पासपोर्ट साईज के दो फोटो।
9. दो गवाहान के फोटो एवं आई.डी.।

उपरोक्त में से बिन्दु 1 व 2 पर वर्णित धनराशि रू. 32,76,977/– बरेली विकास प्राधिकरण के कोष में जमा कराने हेतु प्रेषित किया जा चुका है एवं सम्बन्धित भूखण्ड के निबन्धन की शेष अन्य औपचारिकतायें प्रक्रियाधीन हैं।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.10

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण हेतु कुल 02 संस्थाओं से प्राप्त प्रारम्भिक आगणन में से परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आगणन धनराशि रू. 133.10 लाख न्यूनतम पाया गया जिस पर निगोसिएशन के उपरान्त उक्त संस्था द्वारा प्रस्तुत संशोधित आगणन धनराशि रू. 117.00 लाख के सापेक्ष अनुबन्ध गठित करते हुये शर्तानुसार प्रथम किश्त में 25 प्रतिशत धनराशि रू. 29.25 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया गया है। निर्माण हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.11

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी (डोम) लगाये जाने के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन में स्थान की कमी को दूर करने के लिए निर्मित भवन के ऊपर के द्वितीय तल का निर्माण कराए जाने एवं छतरी लगाये जाने सम्बन्धी योजना बोर्ड के दिनाँक 03 अप्रैल, 2017 की बैठक की अनुशंसा एवं तदोपरान्त विद्या परिषद के दिनाँक 10 अप्रैल, 2017 व कार्य परिषद के दिनाँक 13 अप्रैल, 2017 के निर्णय के अनुपालन में उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, सी. एण्ड डी. एस., यूनिट–33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद द्वारा प्रारम्भिक आगणन धनराशि रू. 237.08 लाख का प्रस्तुत किया गया जिस पर निगोसिएशन के उपरान्त संशोधित आगणन धनराशि रू. 198.75 लाख का प्रस्तुत किया गया किन्तु इस आगणन में छतरी (डोम) के निर्माण की लागत शामिल न होने के कारण पुनः निगोसिएशन के उपरान्त उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा छतरी (डोम) लगाने सहित द्वितीय तल के निर्माण किये जाने हेतु संशोधित आगणन धनराशि रू. 199.23 लाख का प्रस्तुत किया गया जिसके सापेक्ष अनुबन्ध के गठन की कार्यवाही करते हुए शर्तानुसार प्रथम किश्त में 25 प्रतिशत धनराशि रू. 49.80 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया गया है। निर्माण हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी (डोम) लगाये जाने के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.12

विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर की स्थापना किये जाने पर विचार

वर्तमान की भाग दौड़ की जीवन शैली तनाव युक्त है। तनाव से मुक्ति एवं स्वस्थ तथा निरोग रखने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर की स्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.13

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाने से अवगत होना

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किया जा चुका है जिसके संचालन हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाने से अवगत हुई।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव

संलग्नक-04

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 25–01–2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे विश्वविद्यालय कमेटी कक्ष में सम्पन्न योजना बोर्ड की 26वीं (आपातकालीन) बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. एम.पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. जे.एन. मिश्र, पूर्व अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, पूर्व वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. दिनेश सिंह, सहायक निदेशक/असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	श्री एस.पी. सिंह, वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	आमंत्रित सदस्य
7.	प्रो. (डॉ. जी.एस. शुक्ल) कुलसचिव, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

1. डॉ. अरविन्द दीक्षित,
   कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
   आगरा
2. प्रो. एच.सी. पोखरियाल,
   अधिशाषी निदेशक, स्कूल ऑफ ओपेन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय,
   दिल्ली–110009
3. श्री अम्बुज कुमार गुप्ता,
   स्वास्तिक बिल्डर्स प्रा. लि.,
   बी.–30/68, लंका, वाराणसी
4. डॉ. इति तिवारी
   एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
   इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.01

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कम्युनिटी सेण्टर के निर्माण कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के अर्न्तगत सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाओं एवं प्रतिवर्ष समन्वयकों की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। यमुना परिसर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बड़े कक्ष/हॉल उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कम्युनिटी सेण्टर का निर्माण कराये जाने हेतु प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने यमुना परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टीस्टोरी कम्युनिटी सेण्टर का निर्माण जिसमें कम्युनिटी सेण्टर के बेसमेण्ट में पार्किंग की व्यवस्था, प्रथम तल में अतिथि गृह एवं भूतल में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों हेतु बड़े कक्ष/हाल एवं स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया।

योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस कम्युनिटी सेण्टर का सदुपयोग विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों के लिए भी किया जायेगा।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.02

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु भूतल, प्रथम तल , द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने पर विचार

योजना बोर्ड की बैठक दिनाँक 19–11–2016, विद्या परिषद्की बैठक दिनाँक 21–11–2016, वित्त समिति की बैठक दिनाँक 22–11–2016 की संस्तुति एवं कार्य परिषद की बैठक दिनाँक 25–11–2016 के निर्णय के अनुपालन में क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली के लिए भूखण्ड आवंटन हेतु बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगा नगर आवासीय योजना के अम्बर खण्ड सेक्टर 03 में सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगितायें (प्रथम) भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 1106.10 वर्गमीटर के आवंटन हेतु मूल्य रु. 12770/- प्रति स्क्वायर मीटर की दर से भूखण्ड के कुल मूल्य रु. 1,41,24,897/– का 10 प्रतिशत रू. 14,12,000/– अर्नेस्ट मनी के साथ आवेदन किया गया, जिसे स्वीकृत करते हुए बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड का आवंटन किया गया है। आबंटित भूखण्ड के कुल क्रय मूल्य रु. 1,41,24,897/– (14,12,000 + 21,19,224 + 1,05,93,673) के भुगतान के उपरान्त आवंटित भूखण्ड हेतु कार्नर चार्ज 10 प्रतिशत रू0–14,12,490/- एवं फ्री–होल्ड (1,41,24,897/- + 14,12,490/-) का 12 प्रतिशत रू0–18,64,487/- कुल अतिरिक्त धनराशि रू. 32,76,977/– बरेली विकास प्राधिकरण के कोष में जमा कराकर रजिस्ट्री की कार्यवाही की जा चुकी है। क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली के कार्यालय को अपने निज भवन में स्थानान्तरित करने एवं उक्त भूखण्ड की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे एक कान्फ्रेंस हाल, रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.03

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में एक नलकूप एवं 200 कि0ली0 क्षमता की टंकी के निर्माण कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के यगुना परिसर में क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद का कार्यालय अवस्थित है एवं प्राध्यापकों व कर्मचारियों के आवास भी लगभग निर्मित होने वाले हैं। क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद में कार्यालयी कार्यों से छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकों का प्रतिदिन आवागमन होता रहता है एवं भविष्य में आवासों पर रहने वाले प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के दृष्टिगत यमुना परिसर में स्थायी रूप से एक नलकूप एवं जल संग्रहण हेतु 200 कि0ली0 की टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र सहित आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्थाओं : (1) सी.एण्ड डी.एस. विद्युत/यांत्रिक नलकूप विंग, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद (2) सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद एवं (3) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इलाहाबाद ईकाई–2, मशीनरी एवं स्ट्रक्चरल सेण्टर–डी–6 एवं डी–7, नैनी इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किये गये थे। परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस. विद्युत/यांत्रिक नलकूप विंग, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद द्वारा आगणन उपलब्ध कराया गया है अन्य उपरोक्त संस्थाओं से आगणन प्राप्त नहीं हैं। निर्माण इकाई ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इलाहाबाद से हुई वार्ता के क्रम में उल्लिखित निर्माण कार्यों हेतु अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इलाहाबाद द्वारा प्रारम्भिक आगणन प्रस्तुत किया गया हैं। परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस. विद्युत/यांत्रिक नलकूप विंग, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद एवं अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इलाहाबाद से प्राप्त प्रारम्भिक आगणनों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

क्र.सं.	कार्यदायी संस्था	नलकूप एवं 200 कि0ली0 क्षमता के टंकी के निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणन की धनराशि
01	परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस. विद्युत/यांत्रिक नलकूप विंग, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद	58.37 लाख (26.62 + 31.75)
02	अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इलाहाबाद	50.00 लाख

उपरोक्त विवरण के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इलाहाबाद का आगणन रू. 50.00 लाख की दर न्यूनतम है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में एक नलकूप एवं 200 कि0ली0 क्षमता की टंकी के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.04

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन हेतु भवन के निर्माण कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन की व्यवस्था न होने के कारण विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं, वाह्य आगन्तुकों एवं कर्मियों को आवश्यकतानुसार जलपान आदि की व्यवस्था बाहर से करनी पड़ती है।

अतः प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में छात्र/छात्राओं, वाह्य आगन्तुकों एवं कर्मियों हेतु कैंटीन के भवन निर्माण कराये जाने हेतु प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन हेतु भवन के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.05

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे एक कान्फ्रेंस हाल, रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण हेतु मानचित्र सहित प्रारम्भिक आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित पत्रों के सापेक्ष कुल 04 संस्थाओं से आगणन प्राप्त हुए जिनमें परियोजना प्रबन्धक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्, निर्माण इकाई–3, आफिस काम्पलेक्स, (द्वितीय तल), सेक्टर–9, वृन्दावन योजना, लखनऊ का आगणन धनराशि रू. 238.03 लाख की न्यूनतम दरों के सापेक्ष उक्त निर्माण कार्यो हेतु अनुबन्ध गठित कर प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू. 59,50,750/- अवमुक्त किया जा चुका है। सम्बन्धित निर्माण कार्य का भूमिपूजन/शिलान्यास माननीय कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनाँक 24–12–2017

को किया गया। चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.06

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, आगरा एवं क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु निज भवन/भूखण्ड क्रय किये जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सभी क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु निजी भवन की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनाँक 19–11–2016 में संस्तुत किया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों के लिये भूमि/भवन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कुलसचिव महोदय को अधिकृत किया। जिसे विद्या परिषद ने दिनाँक 21–11–2016 की बैठक में तथा कार्य परिषद ने दिनाँक 25–11–2016 की बैठक में संकल्प संख्या 86.09(18–10) में यथावत स्वीकार किया। वित्त समिति ने दिनाँक 22–11–2016 की बैठक में क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए भवन/भूमि क्रय किये जाने की संस्तुति की जिसे कार्य परिषद ने दिनाँक 25–11–2016 की बैठक के संकल्प संख्या 86.10(14) में यथावत स्वीकार किया है।

कार्य परिषद के उक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ एवं क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जा चुके हैं एवं अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है। क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर को भी पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, आगरा एवं क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु निज भवन/भूखण्ड क्रय किये जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.07

विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष में फाल्स सीलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं द्वितीय तल पर सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग का कार्य जल्द पूर्ण होने की सम्भावना है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष में योग मशीन जैसे ट्रेडमिल, साइकिल, पर्दे, शीशा एवं फिटनेस से सम्बन्धित अन्य उपकरण लगाये जाने व सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.08

विश्वविद्यालय के गंगा एवं सरस्वती परिसर में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने पर विचार

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर एवं सरस्वती परिसर में वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग हेतु अण्डरग्राउण्ड पार्किंग जिसमें बेसमेण्ट में चार पहिया वाहन तथा भूतल पर दो पहिया वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.09

विश्वविद्यालय के यमुना पसिर में पावर सप्लाई मीटर रूम, ट्रॉंसफारमर पैड के निर्माण, विद्युत केबल खरीदने एवं विद्युत भार बढ़ाये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में आवासीय भवन, क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन एवं पम्प संचालन इत्यादि के दृष्टिगत पूर्व में 10 किलोवाट के कनेक्शन के विद्युत भार बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। साथ ही पावर सप्लाई मीटर रूम एवं ट्रॉंसफारमर पैड निर्माण एवं विद्युत केबल इत्यादि खरीदने सम्बन्धी प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना पसिर में पावर सप्लाई मीटर रूम, ट्रॉंसफारमर पैड के निर्माण, विद्युत केबल खरीदने एवं विद्युत भार बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त कार्य सम्बन्धित विद्युत विभाग से सम्पर्क कर कराया जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव

संलग्नक -05

तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 15–03–2018 को अपराह्न 3.00 बजे विश्वविद्यालय कमेटी कक्ष में सम्पन्न योजना बोर्ड की 27वीं (आपातकालीन) बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. के.एन. सिंह कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	डॉ. इति तिवारी एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. दिनेश सिंह, सहायक निदेशक/असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	श्री एस.पी. सिंह, वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	आमंत्रित सदस्य
7.	प्रो. (डॉ. जी.एस. शुक्ल) कुलसचिव, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

1. डॉ. अरविन्द दीक्षित,
   कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
   आगरा
2. प्रो. एच.सी. पोखरियाल,
   अधिशाषी निदेशक, स्कूल ऑफ ओपेन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय,
   दिल्ली–110009
3. श्री अम्बुज कुमार गुप्ता,
   स्वास्तिक बिल्डर्स प्रा. लि.,
   बी.–30/68, लंका, वाराणसी
4. प्रो. जे.एन. मिश्र,
   पूर्व अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, पूर्व वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव,
   इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
   इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.01

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द की आवश्कता एवं संस्थापना पर विचार

विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। प्रदेश का विस्तार बहुत अधिक है और भौगोलिक दशाएं भी भिन्न–भिन्न है। शिक्षार्थियों की सुविधा की दृष्टि से एवं कार्य प्रणाली को गति देने के लिए प्रदेश में 10 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना इलाहाबाद, वारांणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर बरेली, मेरठ, नोएडा, झाँसी एवं आगरा में की गयी है।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद परिक्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के कार्य प्रणाली को गतिशील बनाने एवं केन्द्रों व विश्वविद्यालय के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु फैजाबाद क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द की आवश्कता एवं संस्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.02

विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द, फैजाबाद के कार्यालय हेतु भूमि/भवन क्रय किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द, फैजाबाद के कार्यालय हेतु अपने भवन के होने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भूमि/भवन क्रय किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द्र, फैजाबाद के कार्यालय हेतु अयोध्या –फैजाबाद विकास प्राधिकरण की वर्तमान में संचालित योजना में न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर के शैक्षिक भूखण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./1860/2018 दिनाँक 06–03–2018 द्वारा उपाध्यक्ष, अयोध्या –फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द, फैजाबाद के कार्यालय हेतु भूमि/भवन क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रस्तावित क्षेत्रीय केन्द, फैजाबाद के कार्यालय हेतु भूमि/भवन क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.03

विश्वविद्यालय में विधि विद्या शाखा स्थापित किये जाने पर विचार

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 उत्तर प्रदेश (अधिनियम संख्या 10, 1999) के अन्तर्गत हुई। इस विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा योजना के अन्तर्गत एक मुक्त विश्वविद्यालय बनाया गया जिससे पूरे प्रदेश में सुनिश्चित ढंग से उच्च शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से संचालित हो सके।

यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना वर्ष से ही दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से औपचारिक उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में विधि विद्या शाखा की स्थापना आवश्यक है, जिसके अन्तर्गत विधि में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट/स्नातकोत्तर कार्यक्रम (L.L.M. Degree for Academic Enhancement) संचालित किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 111 शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। विधि में स्नातकोत्तर कार्यक्रम उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करते हुए विधि में स्नातक डिग्रीधारियों को स्नातकोत्तर अध्ययन करने एवं अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करेगा। दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली शिक्षार्थी केन्द्रित व्यवस्था है। यह कार्यक्रम दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली में निहित लचीलेपन की विशिष्टताओं के कारण पेशेवर अधिवक्ताओं, न्यायधीशों एवं अभियोजन अधिकारियों इत्यादि को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध करायेगी जो नियमित रूप से एल.एल.एम. की डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न पदों पर सेवारत एल.एल.बी. डिग्रीधारियों के लिए भी उच्च शिक्षा में स्वयं की योग्यता वृद्धि की सुविधा प्रदान करेगी। चूँकि मुक्त एवं दूरस्थ व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं हैं, इसलिए शासकीय एवं अशासकीय अधिवक्ताओं के लिए मुक्त विश्वविद्यालय में अध्ययन करना सहज होगा।

अतः विश्वविद्यालय में विधि विद्या शाखा स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में विधि विद्या शाखा स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.04

विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान विद्या शाखा (School of Earth Sciences) स्थापित किये जाने पर विचार

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 उत्तर प्रदेश (अधिनियम संख्या 10, 1999) के अन्तर्गत हुई। इस विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा योजना के अन्तर्गत एक मुक्त विश्वविद्यालय बनाया गया जिससे पूरे प्रदेश में सुनिश्चित ढंग से उच्च शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से संचालित हो सके।

यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना वर्ष से ही दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से औपचारिक उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में पृथ्वी विज्ञान विद्या शाखा (School of Earth Sciences)की स्थापना

आवश्यक है, जिसके अन्तर्गत डिप्लोमा/सर्टिफिकेट/स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 111 शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

इस विद्या से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा पृथ्वी विज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न आयामों जैसे–भूगोल, पर्यावरण, जीव मण्डल, समुद्र भूमण्डल आदि से सम्बन्धित अध्ययन करने के इच्छुक व्यक्तियों को अवसर प्रदान करेगा। उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करते हुए पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में पहले से ज्ञानार्जन प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करेगा। दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली शिक्षार्थी केन्द्रित व्यवस्था है। यह कार्यक्रम दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली में निहित लचीलेपन की विशषताओं के कारण कार्यरत नौकरी पेशा एवं बेरोजगारों इत्यादि को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध करायेगी जो नियमित रूप से अध्ययन नहीं प्राप्त कर सकते है।

अतः विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान विद्या शाखा (School of Earth Sciences) स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान विद्या शाखा (School of Earth Sciences) स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव

संलग्नक–06

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
शान्तिपुरम (सेक्टर–एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद

अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 02/06/2018 का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र स्थापना सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर कुलसचिव कार्यालय द्वारा सन्दर्भित पत्रावली पर विचारार्थ अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/ मापदण्ड निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2018 को निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन विद्याशाखा के कक्ष में हुई। उक्त बैठक में प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त समिति ने सर्वसम्मति से निम्न संस्तुतियां की :–

1. समिति ने विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र स्थापित करने पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति व्यक्त करते हुए अभिमत दिया कि क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र सम्बन्धी अधिसंरचना सुविधायें उपलब्ध होने की दशा में अध्ययन केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ किया जा सकता है।
2. सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा आवेदन की स्थिति में परीक्षणोपरान्त कार्यक्रम आवण्टित किये जा सकते हैं।
3. पुस्तकालय सम्बन्धी क्षेत्रीय केन्द्रों के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए समिति ने संस्तुत किया कि हर क्षेत्रीय केन्द्र पर एक सुसज्जित पुस्तकालय स्थापित किया जा सकता है, जिसमें आलमारियां, बैठने की व्यवस्था एवं अन्य सुविधायें सहित विश्वविद्यालय की समस्त अध्ययन सामग्री की कम से कम 02 प्रतियाँ उपलब्ध हों।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

02/06/18 (डॉ. ओमजी गुप्ता)	02.06.2018 (डॉ. पी.पी. दुबे)	2.6.18 (डॉ. आर.पी.एस.यादव)
02/06/18 (डॉ. आशुतोष गुप्ता)	प्रो. (डॉ. जी.एस. शुक्ला)	02/06/18 (प्रो. सुधांशु त्रिपाठी)
02/06/18 (डॉ. टी.एन. दुबे)	02/06/18 (डॉ. संतोषा कुमार)	2/6/18 (डॉ. जी.के. द्विवेदी)

संलग्नक - 07

उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

उच्च सलाहकार समिति (विशिष्ट शिक्षा) की बैठक दिनांक 31.05.2018 को अपराह्न 3.00 बजे कमेटी कक्ष में आहूत बैठक का

कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. के. एन. सिंह कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	डॉ0 आर0ए0 जोसेफ प्रेसींडेन्ट इन्ट्रीग्रेटेड इन्स्टीट्यूट फार द डिस्एबिल्ड करौदी, बी0एच0यू0 वाराणसी	सदस्य
3.	श्री संजय कुमार सहायक आचार्य, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
4.	डॉ0 पी0पी0दुबे निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ0 आर0पी0एस0यादव निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	श्री0 एस0के0श्रीवास्तव, मेम्बर सेकेटरी भारतीय पुनर्वास परिषद् बी–22, क़ुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली	पदेन सदस्य
7.	प्रो0 पी0के0पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य सचिव
8.	प्रो0 (डॉ.)जी0एस0शुक्ल उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	कुलसचिव

उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

उच्च सलाहकार समिति (विशिष्ट शिक्षा) की बैठक दिनांक 31.05.2018 को अपराह्न 3.00 बजे कमेटी कक्ष में आहूत बैठक की कार्यवाही

सर्वप्रथम अध्यक्ष की अनुमति से प्रो0 पी0के0पाण्डेय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा डॉ0 आर0ए0 जोसेफ तथा श्री एस0के0 श्रीवास्तव के कतिपय कारणों से वैठक में भाग न ले पाने की सूचना से अवगत कराया। स्वगतोपरान्त वैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए वैठक की कार्यसूची को सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया तथा बिन्दुवार कार्यसूची पर विचार–विमर्श करने का अनुरोध किया। सभी सदस्यों ने कार्यसूची के समस्त बिन्दु कम्रसहः 01 से 07 तक पर गहन विचार–विमर्श किया तथा सर्वसम्मति से अग्रांकित संस्तुतियॉ की। कार्यसूची में उल्लिखित बिन्दु 01 से 07 के अतिरिक्त किसी अन्य बिन्दु को किसी सदस्य द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत नही किया गया। बैठक के अन्त में सभी सदस्यों को धन्यबाद ज्ञापन किया गया।

उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

उच्च सलाहकार समिति (विशिष्ट शिक्षा) की बैठक दिनांक 31.05.2018 का

कार्यवृत्त

कार्यसूची बिन्दु संख्या 1.0

विश्वविद्यालय में बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) कार्यकम के नवीन अध्ययन केन्द्रों की स्थापना पर विचार

भारतीय पुर्नवास परिषद् द्वारा बी0एड0 (एस0 ई0) कार्यकम में 500 सीटे अनुमोदित की गई है, जिसमें प्रत्येक अध्ययन केंन्द्र पर 50 विद्यार्थियों का आंवंटन निर्धारित किया गया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा 8 अध्ययन केंन्द्रो पर कार्यकम संचालित हो रहे है, जिससे 100 विद्यार्थियों का प्रवेश प्रकिया में आवंटन बाधित हो रहा है, अतः भारतीय पुर्नवास परिषद् से दो नये अध्ययन केन्द्र के स्थापना के सम्बन्ध में निवेदन करना उपयुक्त होगा। अतः प्रकण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है–

सूच्य है कि विश्वविद्यालय पत्रांक ओ0 यू0/98/2018 दिनांक 20.04.2018 के माध्यम से नवीन अध्ययन केन्द्र खोलने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली से निवेदन किया गया था परन्तु भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा इस सम्बन्ध में अद्यतन कोई सूचना प्रेषित नही कि गई है।

"उक्त के सम्बन्ध में समिति ने निर्णय लिया कि नवीन अध्ययन केन्द्र खोलने हेतु कुलसचिव के माध्यम से भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली को पुनः पत्र प्रेषित किया जाए।"

कार्यसूची बिन्दु संख्या 2.0

वर्तमान में संचालित अध्ययन केन्द्रों की समीक्षा करने पर विचार

बी0एड0 (एस0 ई0) कार्यकम की गुणवत्ता उन्नयन की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष अध्ययन केन्द्रों की RCI मानको को दृष्टिगत रखते हुए समीक्षा करना उपयुक्त होगा। समीक्षा हेतु निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जा सकता है;–

- अध्ययन केन्द्र के समन्वयक की अर्हता
- परामर्शदाताओं की अर्हता
- बी0एड0 (एस0 ई0) कार्यकम के प्रयोगात्मक कार्यकम में चिकित्सक/थिरैपिस्ट की अर्हता
- अध्ययन केन्द्रो में छात्र सहायता सेवा की समीक्षा।

66

Sanjay Kumar

उक्त की समीक्षा हेतु एक वाह्य एवं एक आन्तरिक विशेषज्ञ को सम्मिलित कर समीक्षा मण्डल का गठन मा0 कुलपति जी की अनुमति से किया जा सकता है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है

"उक्त के सम्बन्ध में समिति ने निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष अध्ययन केन्द्रों की समीक्षा प्रस्तावित बिन्दुओं के आलोक में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समीक्षा मण्डल की सहायता से की जाय। समीक्षा मण्डल में एक वाह्य एवं एक आन्तरिक विशेषज्ञ/निदेशक शिक्षा विद्याशाखा को सम्मिलित करने की सस्तुति की जाती है।"

कार्यसूची बिन्दु संख्या 3.0

नवीन पाठ्यकमों के संचालन पर विचार

भारतीय पुर्नवास परिषद् द्वारा संचालित बी0एड0 (एस0 ई0) कार्यकम के अंर्तगत श्रवण बाधिता, दृष्टि बाधिता तथा मानसिक मंदता के क्षेत्रों में कार्यकम संचालित है। इन क्षेत्रों सहित अन्य विशिष्टता के क्षेत्र में कार्यकम संचालित करने की दृष्टि से पूर्व में स्वीकृत 500 स्थानों के अतिरिक्त स्थानों हेतु भारतीय पुर्नवास परिषद् से अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में निवेदन किया जाय।

"उक्त के सम्बन्ध में समिति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित MR,HI, व VI क्षेत्र में बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त Autism Spectrum Disorder, Learning Disability (L.D.)एवं Cerebral Palsy क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 200 अतिरिक्त स्थानों को बढाने हेतु भारतीय पूनर्वास परिषद नई दिल्ली को कुलसचिव के माध्यम से आवेदन किया जाए।"

कार्यसूची बिन्दु संख्या 4.0

बी0एड0 (एस0 ई0) कार्यकम में भारतीय पुर्नवास परिषद् से PGPD कार्यकम के पुनः संचालन करने पर विचार

भारतीय पुर्नवास परिषद् द्वारा 2005 में PGPD कार्यकम संचालित करने हेतू अनुमति प्राप्त हुई थी, जिसके अंर्तगत 400 सीटें आवंटित थी, यह कार्यकम छात्रों मे काफी लोकप्रिय था, क्योंकि इससें विशिष्टता के क्षेत्र में व्यवसाय की काफी संभावनाए थी परन्तु भारतीय पुर्नवास परिषद् ने सत्र 2015 सें इसे बन्द कर दिया, अतः छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यकम पुनः संचालित करने हेतु भारतीय पुर्नवास परिषद् को प्रस्ताव भेजे जाने पर विचार किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा में विशिष्टता के क्षेत्र मे प्रोफेशनल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुर्नवास परिषद् से एम0एड0 (एस0 ई0 ODL) कार्यकम को संचालित करने हेतु प्रस्ताव भेजे जाने पर विचार किया जा सकता है। सूच्य है कि RCI द्वारा पत्र No- 10-

11/M.Ed. Ed- ODL/2012/RCI दिनांक 14/05/2018 ODL माध्यम में HI, VI, एवं MR के क्षेत्र में M.Ed. (SPL) कार्यकम प्रारम्भ करने के लिए सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये है।

"उक्त के सम्बन्ध में समिति ने निर्णय लिया कि M.Ed. spl (ODL), VI, HI व MR क्षेत्र में प्रारम्भ करने के लिए RCI द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों की पूर्ति करते हुए अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र की जाए।"

कार्यसूची बिन्दु संख्या 5.0

अध्ययन केन्द्रों की मानिटरिंग हेतु दिशा निर्देश निर्धारण पर विचार

बी0एड0 (एस0 ई0) कार्यकम की गुणवत्ता उन्नयन की दृष्टि से प्रत्येक समेस्टर में अध्ययन केंन्द्र की मानिटरिंग उपयुक्त होगी। मानिटरिंग हेतु संलग्न प्रोर्फामा पर सूचनायें मुख्यालय पर कार्यरत शिक्षक/परामर्शदाता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सुझाव वांछित निर्देश विद्या शाखा के माध्यम से सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को प्रेषित की जा सकती है।

"उक्त के सम्बन्ध में समिति ने निर्णय लिया कि प्रत्येक सेमेस्टर में संलग्न मॉनीटरिंग प्रोफार्मा में अध्ययन केन्द्र समन्यवक द्वारा सूचनाओं की पूर्ति करायी जायें तथा शिक्षा विद्याशाखा द्वारा उसका परीक्षण कर अध्ययन केन्द्र को वाछित निर्देश दिये जायें।"

कार्यसूची बिन्दु संख्या 6.0

भारतीय पुर्नवास परिषद् के मानकों के अनुसार मुख्यालय में Faculty की वांछित उपलब्धता पर विचार

भारतीय पुर्नवास परिषद् के पत्रांक संख्या10–13/यू0पी0आर0टी0ओ0 यू0/आर0सी0आई0/2012/13676 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 के बिन्दु 2 के अनुकम में निर्देशित किया गया है कि 2015 के पाठ्यकम के अनुसार 03 एसोशिएट प्रोफेसर, 04 असिस्टेंट प्रोफेसर होना अनिवार्य है। भारतीय पुर्नवास परिषद् के पत्रांक संलग्नक के रुप में संलग्न है।

"उक्त के सम्बन्ध में समिति ने निर्णय लिया कि B.Ed (spl) ODL तथा M.Ed (spl) (ODL) HI,VI व MR हेतु RCI के मानकानुसार मुख्यालय में वांछित फैकल्टी की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र की जाए।"

60

Sanjay Kumar

कार्यसूची बिन्दु संख्या 7.0

स्व–अध्ययन सामग्री के निर्माण पर विचार

बी0एड0 (एस0 ई0) कार्यकम के स्व–अध्ययन सामग्री के निर्माण में विश्वविद्यालय द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय संस्थानों मे कार्यरत प्रोफेसरो/ऐसो0प्रोफेसर/असि0प्रोफेसर द्वारा लेखन कार्य संम्पन्न कराया जाता है, परन्तु अभी विशिष्टता के क्षेत्र मे प्रोफेशनल की कमी होने के कारण स्व–अध्ययन सामग्री के निर्माण में विलंम्बता आ रही है। अतः शीघ्र व समयान्तर्गत लेखन कार्य संम्पन्न कराने हेतु विशिष्टता के क्षेत्र में कार्यरत परास्नातक प्रोफेशनल अथवा स्नातक प्रोफेशनल जिनके पास कम से कम डिप्लोमा स्तर पर पॉच वर्ष का अनुभव अथवा डिग्री स्तर पर तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव होने पर लेखन कार्य करने पर विचार करना उपयुक्त है।

"उक्त के सम्बन्ध में समिति ने निर्णय लिया कि विशिष्टता के क्षेत्र मे प्रोफेशनल की कमी को देखते हुए RCI द्वारा निर्धारित असि0 प्रोफेसर की न्यूनतम अर्हता धारक कार्यरत/ सेवा निवृत्त प्रोफेशनल/शिक्षक से लेखन कार्य कराया जा सकता है।"

31.05.2018
डॉ0 (पी0पी0दुबे)
सदस्य

31.5.18
डॉ0 (आर0पी0एस0यादव)
सदस्य

Sanjay Kumar
श्री (संजय कुमार)
सदस्य

डॉ0 (प्रो0जी0एस0शुक्ला)
कुलसचिव

31/5/18
प्रो0 (पी0के0 पाण्डेय)
सदस्य सचिव

Performa
Monitoring of B.Ed.(SE) Programme

Session ..... Semester .....

Study Centre.....

A. **Admission Details**

No. of students Enrolled :--

	Total	Male	Female
GEN			
OBC			
SC			
ST			
PH			

B. **Assignment Details**

Assignment		Paper.....		Paper.....		Paper.....		Paper.....	
		1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd
Issued on									
Last date of submission									
No. of Student Submitted	in current semester								
	in previous semester								
Date of dispatch									

C. **Counselling/Contact Programme Details**

Paper.....			Paper.....			Paper.....		
Councillor's name & No of Student Present	Dates.....	Hours.....	Councillor's name & No of Student Present	Dates.....	Hours.....	Councillor's name & No of Student Present	Dates.....	Hours.....

D. **Practical Work Details**

i. Date of workshop / Training / Lab Work Provided to the Student (with paper code):-

ii. No. of students participated (with paper code):-

iii. Date of Practical work Records submission (with paper code):-

E. **Examination Details**

i. Date of Terminal Examination –

ii. Date of practical Examination-

iii. Final Result Declared on-

iv. Marksheets sent on –

F. **Remarks if any** .....

Study Centre Coordinator (Name & Signature)

.....

Principal (Name & Signature)

.....

सेलनक - 08

प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले स्थायी अग्रिम को समाप्त करने तथा अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने यहां कम्प्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट एवं अन्य कार्यालय संचालन व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा ही किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किये जाने वाले प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रू. 50 में वृद्धि किये जाने पर विचार हेतु माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में समस्त निदेशकों, कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी की दिनाँक 05–06–2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :–

1. डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा
2. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा
3. डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा
4. डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा
5. प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ल, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा/कुलसचिव
6. प्रो. पी.के. पाण्डेय, प्रभारी, शिक्षा विद्या शाखा
7. प्रो. सुधांशु त्रिपाठी, प्रभारी, समाज विज्ञान विद्या शाखा
8. श्री डी.पी. त्रिपाठी, वित्त अधिकारी

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में समस्त निदेशकों, कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित संस्तुतियां की गयी :–

1. विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले स्थायी अग्रिम को समाप्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
2. अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने यहां कम्प्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट एवं अन्य कार्यालय संचालन व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा ही किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किये जाने वाले प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रू. 50 को बढ़ाकर प्रति शिक्षार्थी रू. 100 किये जाने की संस्तुति की गयी।
3. परन्तु 1000 शिक्षार्थियों की संख्या के उपरान्त प्रवेशित प्रति 100 शिक्षार्थियों पर रू. 2500 की प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।
4. विश्वविद्यालय के बी.एड. एवं बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम हेतु निर्धारित अध्ययन केन्द्रों पर उक्त संस्तुतियां लागू नहीं होगीं।

05/06/18
(डॉ. ओमजी गुप्ता)

05 06 2018
(डॉ. पी.पी. दुबे)

5-6-18
(डॉ. आर.पी.एस. यादव)

05/06/18
(डॉ. आशुतोष गुप्ता)

05/6/2018
(प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ल)

05/06/18
(प्रो. पी.के. पाण्डेय)

05/6/18
(प्रो. सुधांशु त्रिपाठी)

05/06/18
(श्री डी.पी. त्रिपाठी)

संलग्नक - 09

संख्या-[illegible]

प्रेषक,

मधु जोशी,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2018

विषय- विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में वॉस रूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- ओयू/121, दिनांक 19.04.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के तीनों परिसरों में वॉस रूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण कार्य हेतु रू0 1,22,55,000/- (रूपये एक करोड़ बाइस लाख पचपन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 61,00,000/- (रूपये एकसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 में नहीं रखी जाएगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं कार्यदायी संस्था का होगा। कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने एवं कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की बनाये रखने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध निष्पादित कर लिया जायेगा।

4- उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

6- यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार आगणन तैयार किया गया है अथवा नहीं। यह भी देख लिया जाएगा कि कार्यदायी संस्था मितव्ययी एवं गुणवत्तापरक कार्य करती है अथवा नहीं।

7- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

8- प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।

9- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

10- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

11- प्रायोजना अंतर्गत संपादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) न हो इसको दृष्टिगत रखते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

SP G.O.

12. प्रश्नगत निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेस उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराया जायेगा।

13. इस विभाग द्वारा व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-10-राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार-24- वहन किये जाने वाले कार्य" के मामे डाला जायेगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-452/दस-2018, दिनांक- 23 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव

संख्या- 18 /2018/ 515 /सत्तर-4-2018, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सूचना आडिट), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा , उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. प्रबन्ध निदेशक, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेस उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. परियोजना प्रबन्धक, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेस ,यूनिट-33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
9. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव